IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

समन्वय अनुभाग

104,महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

www.upavp.in

भारतीय मानक यूरो IS1570

Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्र सं0- /UPHDB/CS. / दिनांक–

सेवा में,

वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/
मुख्य विधि परामर्शी/अपर निबन्धक/अपर आवास आयुक्त/
उप आवास आयुक्त/प्रशासन/गोपन/प्रचार/भूमि अर्जन/
सम्पत्ति/अभियन्त्रण अनुभाग/लेखानुभाग/सहकारिता/
समन्वय अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय/लखनऊ।

विषयः- मा0 परिषद की 266वीं बैठक दिनांक 12 जून,2024 का संशोधित कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 निदेशक मण्डल की 266वीं बैठक दिनांक 12 जून,2024 को सम्पन्न हुई मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों पर लिये गये निर्णय का कार्यवृत्त कार्यालय के पत्र सं0-903/UPHDB/CS/दिनांक 19-06-2024 के साथ संलग्न कार्यवृत्त के मद सं0-266/24 पर अंकित संशोधित कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है।

अतः कृपया अपने अनुभाग से सम्बन्धित मदों पर मा0 परिषद द्वारा पारित निर्णयानुसार अनुपालन आख्या प्राथमिकता के आधार पर समन्वय अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(मनीषा सिंह चौहान)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

पृ0सं0 962 **/सम0अनु0/** **दिनांक** 27/6/24

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, आवास आयुक्त/ अपर आवास आयुक्त/सचिव (म0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय को संज्ञानार्थ।

2- इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय को उपरोक्तानुसार परिषद की 266वीं बैठक दिनांक 12-06-2024 का संशोधित कार्यवृत्त **(संलग्नक उपरोक्तानुसार)** परिषद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

Parishad Bathak/Letter on new pad

मा0 निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 266वीं बैठक दिनांक–12 जून, 2024 का संशोधित कार्यवृत्त।

मद संख्या	विषय	वर्तमान निर्णय	संशोधित निर्णय
266/24	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-7/5 के पुनर्जीवन की अनुमति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक–19.04.2012 से लगभग 12 वर्ष के पश्चात भी आवंटी द्वारा धनराशि जमा नहीं की गयी, जिस कारण से आवंटन निरस्त किया जाता है। विस्तृत आदेश जारी करने हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को अधिकृत किया जाता है।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में पुनर्जीवन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

आवास आयुक्त

अध्यक्ष